

ध्वन प्रदूषण पर UNEP की रिपोर्ट

प्रलिस के लयः

वार्षकऱ फ्रंटयऱरस रऱररर 2022, भारत में ध्वनऱ प्रदूषण और अनुमानतऱ शोर का स्तर ।

मेन्स के लयः

भारत में ध्वनऱ प्रदूषण और संबंघतऱ कानून तथा मुददे ।

चरचा में क्यऱँ?

हाल ही में जारी [संयुक्त राषट्र परयावरण करयकरम](#) रऱररर जसऱका शीरषक [वार्षकऱ फ्रंटयऱरस रऱररर 2022](#) है, उत्तर प्रदेश राजुय के मुरादाबाद जऱलऱ के एक शहर के उल्लेख के कारण वऱवऱदास्पद हो गई है ।

- फ्रंटयऱरस रऱररर तीन परयावऱणीय मुददऱँ की पहचान करती है और समाधान प्रस्तुत करती है जसऱमें शामिल हैं: शहरी ध्वनऱ प्रदूषण, जंगल की आग तथा फेनोलॉजकऱल परवऱरतन (Phenological Shifts) जो कऱ जलवायु परवऱरतन, प्रदूषण और जैव वऱवऱधऱता के कषरण को लेकर इन तीनों रयावऱणीय मुददऱँ द्वाऱा ग्रह के संकट को संबोधतऱ करने हेतु सरकरऱँ व जनता का ध्यान आकरषतऱ करने तथा काररऱऱई की आवशुयकता पर ध्यान केंदऱरऱ करते हैं ।

प्रमुख बऱदऱ

वऱवऱदऱ:

- यह रऱररर दुनऱया भर के कई शहरऱँ में शोर के स्तर के बारे में अधुयऱनों को संकलतऱ करती है और 61 शहरऱँ के एक सबसेट और डऱबी (डेसीबल) के स्तरऱँ की सीमा को दर्शाती है ।
- दलऱली, जयपुर, कोलकाता, आसनसोल और मुरादाबाद इस सूची में उल्लखऱतऱ ढऱँच भारतीय शहर हैं ।
- रऱररर में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को 29 से 114 तक के dB रेंज के रूप में दर्शाया गया था ।
 - 114 के अधकऱतम स्तर पर यह सूची में दूसरा सबसे अधकऱ शोर ऱाला शहर था ।
 - जबकऱ सडक यातायात, उदुयोग और उदुच जनसंखुया घनतुव उदुच डेसीबल स्तरऱँ से जुडे जाने-माने प्रमुख कारक हैं, मुरादाबाद को सूची में शामिल करना तऱरकसंगत इसलऱयऱ नहीँ माना गया क्यऱँकऱ अतऱत में कयऱ गए इसी तरह के अधुयऱनों में कभी भी इसे असामानुय रूप से शोर ऱाले शहर की सूची में शामिल करने का सुझाव नहीँ दऱया गया था ।
- प्रथम स्थान पर ढाका, बांग्लादेश शामिल था जसऱमें डऱबी का स्तर 119 से अधकऱ था ।

शोर के स्तर के मापन का महतुत्वः

- **डबलुयूएचओ दशऱ-नरऱदेशऱँ को पूरा करना:**
 - वरष 2018 के [वशऱव सुऱासुथुय संगठन](#) (WHO) के नऱवीनतम दशऱ-नरऱदेशऱँ में 53 डऱबी के सडक यातायात के शोर के स्तर हेतु एक सुऱासुथुय-सुरकषातमक सफऱरशऱ प्रस्तुत की थी ।
- **सारवजनकऱ सुऱासुथुय पर प्रतकऱल प्रभावः**
 - फ्रंटयऱरस रऱररर ने सारवजनकऱ सुऱासुथुय पर शोर के प्रतकऱल प्रभावऱँ सहतऱ कई साकषुय संकलतऱ कयऱ जसऱमें हलुके और असुथायी संकट से लेकर गंभीर व पुरानी शारीरकऱ कषतऱतऱक शामिल है ।
 - **बुजुरग, गरभवती महिलाएँ तथा शफऱट में कारुय करने ऱाले करमचारऱयऱँ** को शोर-शराबे के कारण नऱँइज डसऱटऱरबेंस का खतरा होता है ।
 - **शोर-प्ररेरतऱ जागरण** कई शारीरकऱ और मनऱवेजुजानकऱ तनाव प्रतकऱरऱयाओँ का कारण बन सकता है क्यऱँकऱनीद **हारुमोनल वनऱयऱमन और हृदय संबंघी कामकाज** के लऱयऱ आवशुयक होती है ।

- ट्रैफिक शोर हृदय और चयापचय संबंधी विकारों जैसे कडिच रक्तचाप, धमनी उच्च रक्तचाप, कोरोनरी हृदय रोग और मधुमेह के विकास हेतु एक जोखिम कारक है।
- लंबे समय तक पर्यावरण में शोर के संपर्क में रहने से प्रतर्विष **इसकेमिक हृदय रोग (Ischemic Heart Disease)** के 48,000 नए मामले सामने आते हैं जो यूरोप में प्रतर्विष 12,000 लोगों की अकाल मृत्यु का कारण बनता है।

ध्वनिप्रदूषण के संदर्भ में भारत का रुख:

- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** को अपनी राज्य इकाइयों के माध्यम से ध्वनिके स्तर को ट्रैक करने, मानकों को निर्धारित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि अत्यधिक ध्वनिके स्रोतों को नियंत्रित किया जाए।
- **एजेंसी के पास एक मैनुअल मॉनीटरिंग सिस्टम** है जिसके अंतर्गत प्रमुख शहरों में सेंसर लगाए जाते हैं तथा कुछ शहरों में वास्तविक समय में शोर के स्तर को ट्रैक करने की सुविधा होती है।

भारत में ध्वनिप्रदूषण से संबंधित कानून:

- **ध्वनिप्रदूषण (वर्धनियम और नियंत्रण) नियम, 2000** के तहत ध्वनिप्रदूषण को अलग से नियंत्रित किया जाता है।
 - इससे पहले ध्वनिप्रदूषण और इसके स्रोतों को **वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के तहत नियंत्रित किया जाता था।
- इसके अतिरिक्त **पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986** के तहत मोटर वाहनों, एयर-कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डीज़ल जनरेटर और कुछ अन्य प्रकार के निर्माण उपकरणों के लिये ध्वनिमानक निर्धारित किये गए हैं।
- **वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के तहत उद्योगों से होने वाले शोर को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिये **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (SPCBs/ PCCs)** द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से भिन्न है? (2018)

1. एनजीटी को एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया है।
2. एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्च न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में भी मदद करता है, जबकि सीपीसीबी नदियों एवं कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा इसका उद्देश्य देश में हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

- **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT):**
 - इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं शीघ्र नपिटान हेतु की गई थी, जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करना और राहत देना शामिल है।
 - एनजीटी का उद्देश्य त्वरित पर्यावरणीय न्याय प्रदान करना और उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाज़ी के बोझ को कम करने में मदद करना है।
- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB):**
 - यह जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत सितंबर 1974 में गठित एक वैधानिक संगठन है।

दृष्टि
The Vision

- सीपीसीबी के प्रमुख कार्यों, जो कजिल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित हैं, के तहत वभिन्न क्षेत्रों में नदियों एवं कृओं की सफाई को बढ़ावा देना, जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन, राज्य तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार और वायु प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने या कम करने संबंधी उपाय करना शामिल है।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/unep-report-on-noise-pollution>

